विषय-सूची

कार्यसूची मद सं.	मद	पृष्ठ संख्या
1	17 दिसंबर, 2013 को आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि	***2***
2	राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की दिनांक 17 दिसंबर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 10वीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/बिंदुओं पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट	***9***
3	'मेक इन इंडिया' के लिए कार्य योजना	***18***
4	सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विश्वसनीय डाटाबेस का सृजन	***25***
5	उद्योग आधारित विकास कौशल विकास मॉडल का विकास	***29***
6	नवप्रवर्तन, उद्यमिता और कृषि उद्योग - इक्यूबेशन मॉडल के संवर्धन की योजना	***38***
7	नई एमएसएमई नीति की रूपरेखा-एक स्थिति पर टिप्पेणी	***42***
8	विशेष रूप से आईआईएम तथा आईआईटी को लक्ष्यक कर देश में नव उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहित करना।	***44***
9	सार्वजनिक खरीद नीति का बेहतर कार्यान्व्यन सुनिश्चित करना	***48***
10	योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर जागरूकता के लिए लक्ष्य निर्धारण	***52***

मद संख्या 1

17 दिसंबर, 2013 को आयोजित एनबीएमएसएमई की 10वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

माननीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जी की अध्यक्षता में 17 दिसंबर, 2013 को आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10वीं बैठक का कार्यवृत्त दिनांक 5 मार्च, 2014 के पत्र सं. 2(4)/2013-एनबीएमएसएमई के द्वारा उक्त बोर्ड के सभी सदस्यों में परिचालित किया गया था।

कार्यवृत्त **अनुबंध-I** पर संलग्न है।

मद संख्या 2

17 दिसंबर, 2013 को आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10वीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/मदों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणी

17 दिसंबर, 2013 को आयोजित राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 10वीं बैठक में सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-II

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की दिनांक 17 दिसंबर, 2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित 10वीं बैठक में उठाए गए मुद्दों/बिंदुओं पर की गई कार्रवाई संबंधी रिपोर्ट

बैठक में उठाए गए मुद्दे/बिंदु	**की गई कार्रवाई**
• एमएसएमई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करनी पड़ती है जिसके लिए प्रतिस्पर्धात्मकता के घटक पर बल देने की आवश्यकता है। • कॉमन कलस्टर, प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्रों, पी.पी.पी. मोड पर प्रशिक्षण केंद्रों आदि के विकास पर बल। • निर्यात में गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर बल देने तथा इन पहलुओं पर एमएसएमई को चीन का अनुकरण करने की आवश्यकता है। **(पैरा सं. 3)**	विकास आयुक्त (एमएसएमई), का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय ने टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम नामक एक कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में स्थापित 15 नये प्रौद्योगिकी केंद्रों तथा विद्यमान प्रौद्योगिकी केंद्रों (टूल रूम और प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों) को उन्नत किया जाना है। इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत 2200 करोड़ रुपये है (जिसमें विश्व बैंक से 200 मिलियन अमेरीकी डालर की ऋण सहायता शामिल है)। इस कार्यक्रम को 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। यह अनुमान है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन से विश्वस्तरीय प्रौद्योगिकी विकास सेवाएं एमएसएमई को उपलब्ध होंगी जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा कर सकें। कलस्टरों में सॉफ्ट इंटरवेंशन (जैसे क्षमता- निर्माण, विपणन विकास, निर्यात संवर्धन, कौशल विकास, प्रौद्योगिकी उन्नयन, कार्यशालाओं, सेमिनारों, प्रशिक्षण, अध्ययन दौरों आदि के आयोजन), हार्ड इंटरवेंशन (सामान्य सुविधा केन्द्रों की स्थापना) तथा अवसंरचना उन्नयन (एमएसई के नये/विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों/कलस्टरों में अवसंरचना सुविधाओं का सृजन/उन्नयन) के माध्यम से कलस्टरों में सूक्ष्म और लघु उद्यमों के संपूर्ण एवं समेकित विकास के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यम - कलस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) कार्यान्वित किया जा रहा है। एमएसई की उत्पादकता एवं प्रतिस्पर्धात्मकता के साथ- साथ क्षमता- निर्माण में वृद्धि तथा देश में उनके समूह के लिए सरकार ने कलस्टर एप्रोच को प्रमुख कार्यनीति के रूप में अपनाया है। वर्ष 2014-15 के दौरान, 27 डायग्नोस्टिक स्टडी, 12 सॉफ्ट इंटरवेंशन तथा 04 सामान्य सुविधा केंद्रों जैसे विभिन्न इंटरवेंशनों के लिए 43 नये कलस्टरों को लिया गया है। अब तक, विभिन्न कलस्टरों जैसे डायग्नोस्टिक स्टडी, साफ्ट इंटरवेंशन और सामान्य सुविधा केंद्रों (सीएफसी) के लिए कुल 966 कलस्टरों को लिया गया है। इन कलस्टरों के अलावा, 171 अवसंरचना विकास परियोजनाओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शामिल किया गया है।

	राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता कार्यक्रम (एनएमसीपी) एमएसएमई मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य गुणवत्ता उन्नयन, उत्पादकता, डिजाइन विकास, ऊर्जा कुशल और विपणन के क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी आधारित टूल्स से एमएसएमई को सुसज्जित कराना है। इस नये कार्यक्रम के कार्यान्वयन से भारतीय एमएसएमई में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता के संवर्धन में काफी सहायता मिलेगी। वैज्ञानिक पैकेजिंग तकनीकों, पैकेजिंग प्रौद्योगिकी की नवीनतम डिजायनों, पैकेजिंग मानकों को बेहतर बनाने तथा विपणन में पैकेजिंग के महत्व को रेखांकित करने के संबंध में एमएसई उद्यमियों को शिक्षित करने के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय वर्ष 1979 से अपने क्षेत्रीय कार्यालय अर्थात एमएसएमई-डीआई के माध्यम से, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग (आईआईपी), मुंबई तथा ऐसे ही अन्य संस्थानों के साथ मिलकर कार्य कर रहे हैं, एमएसई इकाईयों के लिए निर्यात के लिए पैकेजिंग पर विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। एमएसएमई की आवश्यकता एवं संकेंद्रण के अनुसार एक, दो, तीन अथवा पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।
• नई खरीद नीति अनिवार्य है तथा इसे 3 वर्ष की समयावधि में अपनाना होगा। **(पैरा सं. 4)**	नई नीति के अनुसार, 1 अप्रैल, 2015 से न्यूनतम 20% खरीद अनिवार्य है। 42 सीपीएसयू ने अपनी कुल खरीद की 20% से अधिक खरीद की है। वर्ष 2013-14 में 103 सीपीएसयू से खरीद संबंधी पूरे आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। 15 मंत्रालयों और 120 सीपीएसयू ने अपने नोडल अधिकारियों को नामित किया है और 54 सीपीएसयू ने अपने प्रोडक्टस प्रोफाइल को शेयर किया है, 22 सीपीएसयू ने अपने आपूर्तिकर्ताओं के प्रोफाइल को शेयर किया है तथा 32 सीपीएसयू ने अपनी वेबसाइट पर खरीद का ब्यौरा अपलोड किया है।
• आपूर्तिकर्ताओं, उत्पादों, क्रेताओं की खोज के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर नेशनल पोर्टल में होस्ट किया गया है। **(पैरा सं. 5)**	आईटीसी एचएस कोड के आधार पर उत्पाद के लिए क्रेता-विक्रेता मैच-मेकिंग सॉफ्टवेयर को संतुलित किया जा रहा है जिसमें से 358 मदें केवल एमएसई से खरीद के लिए आरक्षित हैं, आईटीसी-एचएस कोड का चयन इस कार्यालय द्वारा किया जा चुका है और इसे पुष्टि के लिए डीजीएफटी को भेज दिया गया है।
• कर्नाटक के माननीय मुख्य मंत्री जी से उनके राज्य में खरीद नीति के कार्यान्वयन के लिए अनुरोध करना। **(पैरा सं. 6)**	माननीय मंत्री (एमएसएमई) ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों को एमएसई से खरीद में वृद्धि के लिए उनके राज्यों में ऐसी ही नीति तैयार करने के लिए पत्र लिखे हैं। हाल ही में, इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नीति के आधार पर उत्तर प्रदेश ने खरीद नीति तैयार की है। सचिव ने एमएसई से खरीद में वृद्धि के लिए कार्रवाई योजना सहित सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तथा संबंधित

	सीपीएसयू के एमएसई विक्रेताओं की क्षमता- निर्माण के लिए कार्यनीति पर कर्नाटक राज्यई के 4 (चार) सीपीएसयू अर्थात भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत एयरोनाटिक्स लिमिटेड तथा हिन्दुस्तान मशीन टूल्सू के साथ आमने-सामने की बैठक की।
- प्रत्येक विभाग का उत्पाद प्रमाणन का अपना स्वयं का तंत्र है जिससे समस्या उत्पन्न होती है। - प्रत्येक पीएसयू के अपने आश्रित आपूर्तिकर्ता होते हैं तथा जब वे आपूर्ति करने से मना कर देते हैं तभी दूसरों को अवसर दिया जाता है। - कच्चे सामान के मूल्य में उतार-चढ़ाव तथा अंतर्राष्ट्रीय दर तथा घरेलू दर में स्पष्ट अंतर के मुद्दे। **(पैरा सं. 7)**	यह कार्यालय सार्वजनिक खरीद नीति संबंधी मामलों में आईटीसी एचएस कोड के प्रयोग के लिए प्रयास कर रहा है।
- राज्य स्तर पर खरीद नीति की आवश्यकता पर बल - विक्रेता विकास कार्यक्रम के लिए एक निगरानी प्रकोष्ठ की आवश्यकता पर जोर , जिसमें विक्रेताओं का पंजीकरण आवश्यक हो। - एकरूप कर ढांचे की मांग **(पैरा सं 8)**	माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे गए हैं कि वे एमएसई से खरीद को बढ़ाने के लिए अपने राज्य में ऐसी ही नीति लाएं। हाल में उत्तर प्रदेश ने इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नीति के आधार पर एक खरीद नीति बनाई है। 56 सीपीएसयू ने वर्ष 2012-13 में एमएसई के लिए 260 विक्रेता विकास कार्यक्रम (वीडीपी) और 2013-14 में 1007 वीडीपी आयोजित किए। एमएसएमई-डीआई ने 50 राष्ट्रीय वीडीपी तथा 299 राज्य स्तरीय वीडीपी आयोजित किए और एनएसआईसी ने एमएसई के लिए 21 वीडीपी आयोजित किए , जिनमें 1346 अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों ने हिस्सा लिया। विक्रेता विकास कार्यक्रमों के दौरान योग्य विक्रेताओं के लिए हिस्सेदारी कर रहे सीपीएसयू द्वारा विक्रेता पंजीकरण की सुविधा प्रदान की जा रही है। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) का कार्यान्वयन दूसरे करों जैसे ऑक्ट्राइ , केंद्रीय बिक्री कर , राज्य स्तरीय बिक्री कर , प्रवेश कर , स्टांप ड्यूटी , टेलीकॉम लाइसेंस शुल्क, टर्नओवर कर, बिजली के उपभोग या बिक्री पर कर, वस्तुओं व सेवाओं के परिवहन पर कर, आदि की समाप्ति को प्रेरित करेगा। इस तरह भारत की मौजूदा कर प्रणाली की कई परतों से बचा जा सकता है। यह कर लगाने के लिए डेस्टिनेशन प्रिंसिपल को लागू करते हुए विकृतियों को कम करेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 17 दिसंबर 2014 को

	देश में वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) लाने को सुगम बनाने के लिए भारत के संविधान में संशोधन के लिए संसद में एक विधेयक लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
• कर्नाटक के पीएसयू के साथ एक बैठक फिक्स करने का अनुरोध क्योंकि वे वहां के एमएसई से खरीद नहीं कर रहे हैं। **(पैरा सं 9)**	सचिव ने एमएसई से खरीद को बढ़ाने के लिए कार्य योजना और संबंधित सीपीएसयू के एमएसई विक्रेताओं के क्षमता निर्माण के साथ सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कर्नाटक राज्य के 4 सीपीएसयू यानि भारत इलेक्ट्रानिक्स लि., भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान ऐरोनॉटिक्स लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन टूल्स के साथ आमने-सामने की संवादात्मक बैठक आयोजित की।
• विलंबित भुगतान की समस्या। • कुटीर उद्योग के लिए प्रचार हेतु हैंडहोल्डिंग का अनुरोध किया। **(पैरा सं 10)**	नवनिर्मित राज्य तेलंगाना सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने एमएसईएफसी का गठन किया है। इस कार्यालय ने एमएसएफसी से एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुरूप उन्हें निर्दिष्ट किए गए मामलों के त्वरित निपटान का अनुरोध किया है। हाल में, एमएसईएफसी के सामने दाखिल मामलों के निपटान और एमएसईएफसी द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार के कार्यान्वयन की स्थिति संबंधी प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए 23.1.2015 को सभी एमएसईएफसी को पत्र भेजा गया है।
• मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों के द्वारा विपणन सहायता, अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में भागीदारी के लिए महिला उद्यमियों हेतु बोर्डिंग, लॉजिंग के प्रावधान की जरूरत पर बल। • क्लस्टर विकास पहलों के बारे में जागरूकता की कमी। **(पैरा नं 11)**	यह कार्यालय इन रूपों में एमएसई को उनके बाजार के विस्तार के लिए सहायता दे रहा है: क) विक्रेता विकास कार्यक्रम ख) विपणन सहायता और प्रौद्योगिकी उन्नयन ग) विपणन सहायता विकास योजनाएं एमएसई-सीडीपी योजना के तहत सॉफ्ट इंटरवेंशन एमएसएमई मंत्रालय, अन्य मंत्रालयों और राज्य व केंद्र सरकार के विभागों की विभिन्न योजनाओं के बारे में जागरूकता उत्पन्न करती है। इसके अलावा, क्लस्टरों में उद्यमियों द्वारा एक विदेशी मेले में भागीदारी की जा सकती है। अब तक कुल 326 सॉफ्ट इंटरवेंशन किए गए हैं।
• नई खरीद नीति का पालन न करने के लिए दंड की मांग • अलग-अलग राज्यों में एमएसई के लिए बिजली की एकरूप दर की मांग • सस्ते चीनी आयातों की चुनौती **(पैरा सं 12)**	डीपीई ने सभी सीपीएसयू को निर्देश जारी किए हैं कि सीपीएसयू द्वारा उक्त नीति का अनुपालन न करने की स्थिति में समझौता ज्ञापन के वार्षिक मूल्यांकन के समय पर उन्हें 1 मार्क तक दंडित किया जाएगा। सरकार ऐसे आयातों को सीमित करने के लिए डब्ल्यूटीओ के तहत स्वीकृत एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाती रही है, जब यह प्रमाणित हो जाता है कि ऐसे आयात भारतीय उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और दी जाने वाली सेवाओं के बाजार को अनुचित तरीके से प्रभावित करते हैं। सरकार चीन सहित दूसरे देशों से आयातों में उछाल के खिलाफ घरेलू उद्योगों को सुरक्षित करने के लिए सुरक्षोपाय शुल्क भी लगाती है। ये पद्धतियां क्रमशः डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज

	(डीजीएडी), डीओसी और डायक्टरेट जनरल ऑफ सेफगार्ड्स (डीजीएसजी), डीओसी द्वारा संचालित होती हैं। अत:, मामले को उपयुक्त कार्रवाई के लिए उनके पास अग्रेषित किया जा सकता है।
• अधिक से अधिक राज्यों को खरीद नीति के घेरे में लाने की जरूरत पर जोर। • कच्चे माल की कीमतों का मुद्दा और एक एंटी डंपिंग नीति की आवश्यकता। **(पैरा सं 13)**	माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे गए हैं कि वे एमएसई से खरीद को बढ़ाने के लिए अपने राज्य में ऐसी ही नीति लाएं। हाल में उत्तर प्रदेश ने इस मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नीति के आधार पर एक खरीद नीति बनाई है। यह मामला डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एंटी डंपिंग एंड एलायड ड्यूटीज (डीजीएडी), वाणिज्य विभाग से संबंधित है। ऐसे मामलों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए डीजीएडी को अग्रेषित किया जा सकता है।
• कोलार जैसे पिछड़े जिले के लिए, खासकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अल्पसंख्यकों के लिए विशेष कार्यक्रम का महत्व **(पैरा सं 14)**	भारत सरकार देश के सभी क्षेत्रों को शामिल करते हुए अखिल भारतीय स्तर पर लघु और सूक्ष्म उद्यमों के विकास के लिए योजनाएं और नीतियां लागू करती है। तथापि, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए, कुछ योजनाओं में कुछ विस्तार है, जैसे उद्यमिता विकास कार्यक्र म (ईडीपी), सूक्ष्म व लघु उद्यम - क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), एमएसई के लिए बाजार विकास सहायता और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)।
• विक्रेता पंजीकरण और एक विक्रेता विकास प्रकोष्ठ की स्थापना का मुद्दा। **(पैरा सं 15)**	विक्रेता विकास कार्यक्रमों के दौरान योग्य विक्रेताओं के लिए हिस्सेदारी कर रही सीपीएसयू द्वारा विक्रेता पंजीकरण की सुविधा दी जा रही है। विकास आयुक्त (एमएसएमई) और एमएसएमई-डीआई में विक्रेता विकास प्रकोष्ठ है और विक्रेता पंजीकरण से संबंधित मुद्दों का ध्यान रखने के लिए डीआई स्तर पर प्रत्येक वीडीपी के लिए एक समन्वयक नामांकित किया गया है।
• नई विदेश व्यापार नीति में उद्योग के लिए लाइसेंसिंग प्रणाली में पुनरुद्धार का अनुरोध। **(पैरा सं 16)**	उद्योग के लिए लाइसेंसिग प्रणाली का मुद्दा नीतिगत मामले के अंतर्गत विषय में आता है, जिसे डीजीएफटी देखता है। अत: इन मुद्दों पर विचार करने और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन्हें डीजीएफटी को अग्रेषित किया जाए।
• महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ की आवश्यकता पर बल। • खरीद नीति में 4 प्रतिशत उपश्रेणी में महिलाओं को शामिल करने का अनुरोध। • ऋण प्राप्त करने में बैंकों से उद्यमियों के सामने आने वाले कोलेटरल का मुद्दा।	मंत्रालय के भीतर विभिन्न मंचों पर इन पहलुओं पर विचार किया जा रहा है।. कोलेटरल मुक्त ऋणों के मुद्दे को निपटाने के लिए, राज्य विशिष्ट और विभाग विशिष्ट क्रेडिट गारंटी योजनाएं स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं जिसमें संबंधित राज्य /विभाग समग्र निधि में योगदान देंगे और सीजीटीएमएसई ट्रस्टी होगा।

(पैरा सं 18)	
• यह मुद्दा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की नए एमएसएमई से आपूर्ति लेने में अनिच्छा रखने संबंधी है । • बिलंबित भुगतान का मुद्दा • वित्ति एवं उपयुक्तम सूचना का अभाव । **(पैरा सं0 19)**	(क) सचिव, एमएसएमई ने नीति के प्रभावी कार्यान्वद यन के लिए रणनीति तैयार करने हेतु विभिन्नए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ 11 अलग-अलग बैठकों का आयोजन किया । पीएसयू को एमएसई से खरीद बढ़ाने तथा एमएसएमई-विक्रेताओं में क्षमता निर्माण एवं विक्रेता पंजीकरण में अधिक- से-अधिक एमएसई को लाने के लिए कार्य योजना बनाने को निर्देशित किया गया है । (ख) एमए प्रभाग पीएसयू के पास उनके द्वारा एमएसई से की गई खरीद के ऑकड़ों को इकट्ठा करने के लिए लगातार संम्प र्क में रहता है । (ग) अभी तक केंद्रीय मंत्रियों /विभागों/पीएययू को अनुस्मारक पत्र के अनुसरण में 163 पीएसयू ने ऑकड़ों के साथ जवाब दिया है। हालांकि, 163 सीपीएसयू में से केवल 42 सीपीएसयू ने एमएसई से 20 प्रतिशत की खरीद का लक्ष्यस प्राप्ता किया है । (घ) सीपीएसयू द्वारा नीति संबंधी प्रश्नों/मुद्दों के स्पष्टीकरण को उपलब्धि कराने में उन्हें सहयोग देना । नवनिर्मित तेलंगाना राज्यउ सहित सभी राज्यों /संघ राज्यु क्षेत्रों में एमएसईएफसी का गठन किया गया है । इस कार्यालय ने एमएसएमईडी अधिनियम , 2006 के प्रावधानों के अनुसार एमएसएफसी से अनुरोध किया है कि उनको भेजे गए मामलों को शीघ्रता से निपटान किया जाए । हाल ही में, दिनांक 23-1-2015 को सभी एमएसईएफसी को उनके पास दर्ज किए गए मामलों के निपटान के संबंध में तथा एमएसएफसी द्वारा दिए गए फैसलों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र भेजा गया है । सूक्ष्मा लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) पर प्रधानमंत्री के टास्कफोर्स की सिफारिशों के संदर्भ में , भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिनांक 29 जून, 2010 के परिपत्र में बैंकों को निम्नबत सुझाव दिए गए :- I. अधिक ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण में वर्ष-दर-वर्ष 20% वृद्धि प्राप्तद की जाए । II. सूक्ष्मे लघु उद्यमों को एमएसई अग्रिमों के 60 % आवंटन को चरणबद्ध अर्थात् वर्ष 2010-11 में 50%, वर्ष 2011-12 में 55% और वर्ष 2012-13 में 60% के रूप में प्राप्तज किया जाए

।

III. सूक्ष्म उद्यमों के खातों की संख्या में 10% वार्षिक वृद्धि को प्राप्त किया जाए ।

भारतीय रिजर्व बैंक निकटता से बैंको द्वारा लक्ष्यों की प्राप्ति पर निगरानी रखता है और बैंकों के साथ बाधाओं का पता लगाने के लिए अलग-अलग बैठकें कर रहा है तथा इस क्षेत्र हेतु ऋण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक उपाय हेतु बैंकों को सुझाव देता है । भारतीय रिजर्व बैंक ने टास्क फोर्स द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल बैंकों के सामने यह मामला उठाया । भारतीय रिजर्व बैंक में 5 जुलाई, 2011 को 12वीं स्थायी सलाहकार समिति की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार विभिन्न एमएसई नीतियों पर शाखा स्तर के पदाधिकारियों को जागरूक करने को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को क्षेत्र की समस्याओं को समझने और ऋण व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए रणनीति हेतु उपाय करने का सुझाव दिया ताकि इस क्षेत्र को ऋण देने के निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके ।

भारतीय रिजर्व बैंक ने दिनांक 4 मई, 2009 के परिपत्र के अनुसार बैंकों को ऋण आवेदनों का केंद्रीय पंजीकरण आरंभ करने और इसी तकनीक को ऋण-आवेदनों को ऑनलाइन जमा करने में प्रयोग करने एवं ऋण आवेदनों को ऑनलाइन ट्रेकिंग करने में भी उपयोग करने , के बारे में सुझाव दिया है। सितंबर 2011 में भारतीय रिजर्व बैंक ने दिशा-निर्देशों के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को सलाह दी कि वे एमएसएमई पर अधिकार प्राप्त समिति की बैठक में मुद्दे पर चर्चा करें तथा अनुपालन सुनिश्चित करें । भारतीय रिजर्व बैंक ने 4 जनवरी , 2012 को पुन: परिपत्र दोहराया कि बैंकों को अपने एमएसएमई ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा मैनुअली अथवा ऑनलाइन जमा कराए गए आवेदनों की पावती देना अनिवार्य की जाए तथा यह सुनिश्चित किया जाए कि आवेदन के साथ-साथ पावती रसीदों पर चल क्रमांक डाला जाए।

सिड्बी ने अपनी वेबसाइट पर ऋण आवेदन पत्र उपलब्ध करा दिया है । ये आवेदन-पत्र ऋण प्राप्तकर्ताओं द्वारा प्रयोग में लाए जा सकते हैं और वे इन्हें इलैक्ट्रोनिक रूप से अग्रेषित कर सकते हैं । ऋण आवदेन के प्रक्रमण के लिए ऋण आवेदन की इन-वार्डिंग साफ्टवेयर इन-बिल्ट है । साफ्टवेयर में प्रक्रिया के प्रत्येक चरण रिकार्ड किए जाते हैं जिससे ऋण प्राप्तकर्ता स्थिति को रियल टाइम आधार पर देख सकता है । वेबसाइट (www.sidbi.in) पर स्थिति को प्रकाशित डाला जाता है, जिसके लिए एक लिंक 'नो योर एप्लीकेशन स्टेटस ' पहले ही तैयार किया गया है । अद्यतन स्थिति को ऋण-प्राप्तकर्ता देख सकता है ।

• कैसोर्टिया गठन और विपणन उत्पादों की निगरानी के महत्वि पर जोर देना • एनएमसीपी की पहुँच के विस्तार के लिए आह्वान **(पैरा सं0 20)**	एनएसआईसी इस मंत्रालय का एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसने वर्ष 2013-14 में एमएसई से 75.58 प्रतिशत खरीद की है । एनएसआईसी सामग्री एवं सेवाओं की आपूर्ति के लिए एमएसई के साथ भागीदारी बनाने/बनाए रख रहा है जो कि सीपीएसयू के लिए जरूरी है । एनएमसीपी घटकों का पूरे देश में कार्यान्वकयन किया जा रहा है , तथा पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने जबरदस्तवसफलता का प्रदर्शन किया है ।
• विलंबित भुगतान के मुद्दे पर मजबूत इंटरवेंशन का आह्वान **(पैरा सं0 21)**	विकास आयुक्तं (एमएसएमई) ने एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अनुसार एसएसईएफसी से अनुरोध किया है कि उनको भेजे गए मामलों का त्वुरित रूप से निपटान किया जाए । हाल ही में, दिनांक 23-1-2015 को सभी एमएसईएफसी को उनके पास दर्ज किए गए मामलों के निपटान के सं बंध में तथा एमएसईएफसी द्वारा लिए गए फैसलों के कार्यान्यन की स्थिति के बारे में प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिए पत्र भेजा गया है ।
• एमएसएमई के लिए पूरे देश में कच्चेममाल की खरीद का कार्य **(पैरा सं0 23)**	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के स्वामित्व वाले उद्यमियों से खरीद में सुधार लाने हेतु इस कार्यालय ने दलित इंडस्ट्रीम चैम्बार ऑफ कॉमर्स(डीआईसीसीआई) जैसे संघों से उनके साथ पंजीकृत एमएसई की सूची कार्यालय को देने का अनुरोध किया है ताकि उसे कार्यालय की वेबसाइट पर सीपीएसयू की आसान पहुँच के लिए उपलब्धस कराया जा सके ।
• इंडियन इनोवेशन फंड के सृजन के संबंध में । **(पैरा सं0 26)**	चूंकि नेशनल इनोवेशन काउंसिल और योजना आयोग अस्तित्वमें नहीं है, इसलिए तीन स्तेरीय प्रबंधन ढॉचे में संशोधन किया गया है । संशोधित केबिनेट नोट अनुमोदन के लिए प्रक्रियाधीन है ।

मद संख्या:3

‘मेक इन इंडिया’ के लिए कार्य योजना

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11वीं बैठक में चर्चा करने के लिए ‘मेक इन इंडिया’ के लिए कार्य योजना पर एक टिप्प्णी **अनुबंध-III** पर संलग्ने है।

अनुबंध-III

'मेक इन इंडिया' के लिए कार्य योजना

भारत में एमएसएमई क्षेत्र अपने आकार, प्रौद्योगिकी के स्तर, रोजगार और उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की श्रृंखला के संबंध में विविधतापूर्ण है। बुनियादी ग्रामोद्योगों से आरंभ करते हुए क्षेत्र के उत्पाद ऑटो कॉम्पोनेंटों, माइक्रो प्रोसेसरों, इलैक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंटों और इलैक्ट्रो-मेडिकल डिवाइसों तक फैले हुए हैं। इस क्षेत्र ने स्पेस सैटेलाइटों जैसे कि मंगलयान और चंद्रयान के लिए महत्वपूर्ण इन्पुटों में भी योगदान दिया है। एमएसएमई ने हाल के वर्षों में लगभग 10 प्रतिशत की निरन्तर वृद्धि दर दर्शायी है जोकि बड़े पैमाने के कारपोरेट क्षेत्र से कहीं अधिक है। यह क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद में 37.5 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन का 36 प्रतिशत और निर्यात में 40 प्रतिशत का योगदान करता है। एमएसएमई छह हजार उत्पादों का उत्पादन करते हुए लगभग 36 मिलियन उद्यमों के माध्यम से 80 मिलियन व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करता है।

(क) विनिर्माण और सेवाओं के लिए इको-सिस्टम

मेक इन इंडिया कार्यनीति का लक्ष्य निवेश को सुगम बनाना, नूतनता में तेजी लाना, कौशल विकास का विस्तार करना और देश में **विनिर्माण आधारभूत संरचना के लिए इको-प्रणाली** निर्मित करना है। इस कार्यनीति का प्रमुख उद्देश्य निवेश की अधिकतम सीमा और नियंत्रण को सरल बनाना है ताकि भारतीय औद्योगिक क्षेत्रों को वैश्विक भागीदारी के लिए खोला जा सके। एमएसएमई मंत्रालय सरकार की 'मेक इन इंडिया' ड्राईव में एक प्रमुख सहयोगी बनने वाला है।

एमएसएमई मंत्रालय क्षेत्र के समक्ष आने वाली समस्याओं को हल करने के लिए वित्त, प्रौद्योगिकी, आधारभूत संरचना, विपणन और कौशल विकास के क्षेत्रों में कई कार्यक्रम और योजनाएं कार्यान्वित कर रहा है।

भारत में एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली सबसे बड़ी समस्याओं में से एक उपयुक्त दरों पर समपार्श्विकता मुक्त ऋण की उपलब्धता है। इसके साथ ही भारत में वेंचर कैपिटल फंडों, एंजेल फंडों और इनोवेशन फंडों की प्रत्यक्षत: उपस्थिति भी नहीं है। 'मेक इन इंडिया' अभियान उत्पादों और सेवाओं की श्रृंखला और विपणन नेटवर्क के संबंध में एमएसएमई क्षेत्र की अंतर्निहित गहराई का लाभ उठाने के लिए विदेशी कॉरपोरेटों/निवेशकों को निवेश करने और वेंचर/एंजेल फंड स्थापित करने के लिए आकर्षित कर सकता है। मंत्रालय समपार्श्विकता मुक्त

क्रेडिट के प्रावधान पर केन्द्रित कार्रवाई योजनाओं, राज्य सरकारों के वित्तीय समर्थन से किसी विशिष्ट राज्य के उद्यमियों को गारंटियां प्रदान करने के लिए स्टेट वर्टिकलों का सृजन, महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति और पूर्वोत्तर प्रदेशों के युवाओं के लिए वर्टिकलों का सृजन करके इन चुनौतियों का भी सामना करेगा।

भारतीय एमएसएमई क्षेत्र में विदेशी भागीदारों को अनुभव होने वाला एक अन्य लाभ यह है कि इस क्षेत्र में उत्पादन प्रक्रिया पहले से ही जारी है। उत्पादन प्रक्रिया की शुरूआत के लिए अपेक्षित विभिन्न नेटवर्क पहले से ही स्थापित हैं। इन क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए विदेशी इकाई को केवल अपना निवेश और तकनीकी जानकारी लाने की ही आवश्यकता है।

इसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एसएमई को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उनके विनिर्माण व्यवहार्यों में सुधार लाने में उनकी सहायता करने की परिकल्पना की गई है। इसका उद्देश्य प्रौद्योगिकी अंतरण, संयुक्त वेंचर परियोजनाओं के लिए सहयोग करने में उनकी सहायता करना है तथा उन्हें उनके अंतर्राष्ट्रीय साथियों के साथ संपर्क करने को प्रोत्साहित करना है। लघु एवं मध्यम उद्यम (एसएमई) और अधिक प्रतिस्पर्धी बनने तथा वैश्विक बाजार में प्रवेश करने के उद्देश्य से अपने प्रतिरूपों के साथ तकनीकी सहयोग के लिए अधिकाधिक विश्व की ओर देख रहे हैं। विदेशों में फर्मों के साथ तकनीकी सहयोग से गुणवत्ता में सुधार लाने और लागतों में कमी करने में मदद मिलेगी।

मंत्रालय का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धी विनिर्माण के लिए एमएसएमई क्लस्टरों का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी केन्द्रों (टीसी) की स्थापना करके एक इकोसिस्टम का सृजन करना है। यह विश्व बैंक की सहायता से 15 नए प्रौद्योगिकी केन्द्र स्थापित करके, क्लस्टर नेटवर्क मैनेजर्स (सीएनएम) और एक राष्ट्रीय पोर्टल द्वारा समर्थित नई प्रौद्योगिकियों और परीक्षण सुविधाओं से 18 मौजूदा प्रौद्यागिकी केन्द्रों का परिवर्धन करके किए जाने का प्रस्ताव है। सीएनएम एक वेब बनाएगा जो नए विपणन संपर्कों के माध्यम से एमएसएमई के लिए व्यवसाय अवसरों में बढ़ोतरी करेगा, उद्योग-शिक्षण-संस्थानों के लिए पारस्परिक मंच उपलब्ध कराएगा, प्रमुख इनोवेशन हितधारियों का गहन सहयोग स्थापित करेगा और कौशल विकास और श्रम विपणन हितधारियों के बीच गहन सहयोग को सुगम बनाएगा। लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, डिजाइन क्लिनिक योजना, क्यूएमएस/क्यूटीटी योजना और आईसीटी योजना आदि को सरल और उन्नत बनाकर क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता और उत्पादकता में परिवर्धन करने का उद्देश्य भी है।

एमएसएमई नवप्रवर्तन के प्रमुख वाहक हैं और नई प्रौद्यागिकियों और विचारों के लिए इन्क्यूबेटरों के रूप में कार्य करते हैं। एमएसएमई को उनके व्यावसायों के संवर्धन के लिए नूतन विचार और अवधारणाएं अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। उत्पाद और प्रक्रिया इनोवेशनों के प्रति सहयोगी हस्तक्षेपों, विविधीकरण और बड़े बाजारों तक पहुंच से क्षेत्र को बढ़ने और प्रमुख वैश्विक प्लेयर के रूप में उभरने में मदद मिलेगी। आईआईएस और सीएसआईआर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके अनुसंधान संस्थानों और उद्योगों के बीच के अंतराल को कम करने के प्रयास जारी हैं। स्वच्छ प्रौद्योगिकी पर एक यूनिडो परियोजना भी आरंभ की गई है।

ऑफसेट नीति सहित एमएसई के लिए सार्वजिनक खरीद नीति स्थानीय उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विश्व भर में सरकारों द्वारा प्रयोग किए जा रहे दो प्रमुख साधन हैं। सार्वजनिक खरीद नीति ने स्थानीय उद्योग के विपणन और बिक्री को बढ़ावा दिया है तथा साथ ही डिजाइन, प्रौद्योगिकी और पैकेजिंग, जहां ऑफसेट नीति अधिक कार्यनीतिक रही है, में निवेश के अनुवर्ती लाभ (कभी-कभी) भी प्रदान करती है। इसने एफडीआई और प्रौद्योगिकी प्रवाह के साथ ही स्थानीय उद्योग की वृद्धि भी सुनिश्चित की है। यह दोनों नीतियों में स्पष्ट परस्पर व्याप्ति है। सीपीएसयू के साथ सहयोग में वीडीपी (विक्रेता विकास कार्यक्रम) और सामान्यक कार्रवाई योजनाओं के माध्यिम से नई सार्वजनिक खरीद नीति को लोकप्रिय बनाने तथा इसके प्रभावी कार्यान्वयन करने के प्रयास भी चल रहे हैं। एमएसएमई द्वारा रक्षा विनिर्माण के इकोसिस्टम के सृजन के लिए डिफेंस ऑफसेट नीति का लाभ भी उठाया जा रहा है।

एमएसएमई क्षेत्र के बने रहने के लिए क्लस्टरिंग एक वैश्विक घटना है। एमएसएमई क्षेत्र द्वारा किए जाने वाले उत्पादन का 50 प्रतिशत से अधिक सम्पूर्ण भारत में फैले क्लस्टरों से आता है। इसके अलावा हमारे कोर उत्पादों अर्थात गारमेंट्स, चमड़े का सामान, इंजीनियरिंग मदें, रत्न और आभूषण आदि के प्रमुख उत्पादक क्लस्टरों में उत्पादन करते हैं जो कि नूतन विनिर्माण की नर्सरी है जिसमें हमारे एमएसएमई उन्नति कर रहे हैं। एमएसएमई मंत्रालय एमएसएमई क्लस्टरों में विभिन्न उपहलों के माध्यम से आधुनिकीकरण और नूतनता को सहयोग प्रदान कर रहा है। क्लस्टर अप्रोच को भी उन्नत किया जा रहा है।

(ख) जीरो डिफेक्ट जीरो एफेक्ट

ये सभी प्रयास **जीरो एफेक्ट जीरो डिफेक्ट** विनिर्माण योजना के काफी अनुकूल है ताकि भारतीय उद्योग वैश्विक बाजार में उत्कृष्टता की स्थिति हासिल कर सके और 'मेड इन इंडिया' चिन्ह के माध्यम से विश्व के आपूर्तिकर्ता के रूप में भारत को उभरने में आगे बढ़ाया जा सके। इस क्षेत्र में मंत्रालय ने न केवल अपनी योजनाओं जैसे कि विशेषरूप से लीन विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता योजना, गुणवत्ता प्रबंध मानक (क्यूएमएस) और गुणवत्ता प्रौद्योगिकी साधन (क्यूटीटी), प्रौद्योगिकी एवं गुणवत्ता उन्नयन (टीईक्यूयूपी) योजनाओं का संरेखन किया है अपितु भारतीय गुणवत्ता परिषद् (क्यूसीआई) के साथ विनिर्माण में गुणवत्ता मानदण्डों की प्रभावशाली श्रृंखला को शामिल करके 'जेड सर्टिफिकेशन' भी तैयार किया है।

छोटी फर्में स्थानीय कार्यनीतिक सहभागियों-विशेष रूप से बहुराष्ट्रीय सहायिकाओं के साथ नेटवर्क संपर्कों का उपयोग करके प्रभावशाली रूप से विकास कर सकती हैं। इस संदर्भ में तीन मुख्य पाठ हैं:

- अवसर को पहचानना
- बाधाओं को दूर करना
- सक्रियता से कार्य करना

'मेक इन इंडिया' कार्यनीति का एकमात्र अर्थ बहुराष्ट्रीय कंपनियों को सिर्फ आमंत्रित करना नहीं है, बल्कि भारत को एक विनिर्माण हब में बदलने के उद्देश्य से यह तात्कालिक रूप से अपने घर को व्यवस्थित करने पर भी बल देती है। देश में व्यवसाय करने को सरल बनाने के लिए सुधार होना चाहिए।

(ग) स्किल मैपिंग

कौशल प्रदान करना रोजगार सृजन की सबसे महत्वपूर्ण युक्तियों में से एक है और गतिशील औपचारिक लघु और मध्यम आकार (एसएमई) के उद्यमों के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्पादकता विकास को बढ़ाता है और सामाजिक और पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के लिए व्यावहारिक व्यापार संबंधी समाधान खोजने में मदद कर सकता है । पारंपरिक और आधुनिक दोनों तरह के उत्पादन और प्रबंधन तकनीकों में शिक्षित युवाओं के प्रभावी प्रशिक्षण के माध्यम से **स्किल मैपिंग** और उद्योग उत्तरदायी कुशल जनशक्ति के सृजन पर जोर दिया गया है । यह भारतीय उद्यम विकास सेवा का निर्माण और उद्योग के लिए वेब आधारित रोजगार कार्यालय के रूप में संस्थागत प्रस्तोता द्वारा समर्थित किया जाएगा। मंत्रालय

विभिन्न मापदंडों जैसे कि क्लस्टर, बनाए गए उत्पाद और वहाँ पर ज़रूरी संस्थागत प्रस्तोता के आधार पर प्रत्येक जिले में स्किल नीड मैपिंग करने की प्रक्रिया में है ।

(घ) कौशल विकास

'मेक इन इंडिया ' पहल से दीर्घकालिक आधार पर जुड़ते हुए सरकार को उभरते हुए उद्यमियों को अपना उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। भारत में हर वर्ष लगभग 16 लाख छात्र अभियांत्रिकी, प्रबंधन तथा पॉलीटेक्निक से उत्तीर्ण हो रहे हैं । उन्नत देशों में, विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्रों में इंजीनियर से उद्यमी के रूप में रूपान्तरण काफी अधिक है । क्या कारण हैं कि , भारत में, रूपान्तरण अनुपात 10% भी नहीं है ? इस तर्क के आधार पर भारत में हमारे पास 5-6 वर्षो का अनुभव रखने वाली एक करोड़ से भी अधिक तकनीकी युवा जनशक्ति है जो 30 वर्ष की आयु से कम है । लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि, प्रशिक्षित जनशक्ति एक व्यवहार्य कैरियर विकल्प के रूप में एक उद्यम शुरू करने का कार्य नहीं कर पा रही है ? नए व्यवसायों के लिए प्रवेश बाधाओं (लागत सहित) को कम करने की ज़रूरत का पता लगाया जाना ज़रूरी है ।

उद्यमिता को बढ़ावा देना सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय का मुख्य काम है । मंत्रालय भारतीय युवाओं में उद्यमी गुणों को उत्पन्न करने के लिए उद्यमिता कार्यक्रमों का आयोजन करने में अग्रणी रहा है । सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय खादी व ग्रामोद्योग के लिए आवश्यक कौशल गुणों से लेकर ऑटो- कम्पोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, फार्मा उत्पादों इत्यादि जैसे वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी उद्योगों के लिए अपेक्षित कौशल गुणों की व्यापक रेंज में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को **कौशल विकास** प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है । हालांकि, अब कौशल विकास के क्षेत्रों में जैसे कि संस्थानों की मान्यता, प्रमाण पत्र, पाठ्यक्रम विकास, उद्योगों के बीच परस्पर संपर्क, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, प्रवृत्ति अभिज्ञान आदि जैसे क्षेत्रों के लिए और अधिक समन्वित दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है । इस दिशा पर ध्यान केंद्रित कर मंत्रालय, पहले से ही एक एक विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रम और उद्योग प्रमाणित पाठ्यक्रम का उन्नत मॉडल ला चुका है, जैसा कि, टूल रूम और एफ़एफ़डीसी में किया गया है ।

देश भर में प्रशिक्षण क्षमता को मजबूत बनाने के लिए और 'मेक इन इंडिया' पहल को बढ़ावा देने के लिए , मंत्रालय ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉ निक्स के साथ पीपीपी मोड में एमएसएमई- सैमसंग टेक्निकल स्कूल की स्थापना करने के लिए संयुक्त पहल की है । अब देश

के विभिन्न भागों में संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार का उद्देश्य एमएसएमई प्रौद्योगिकी केन्द्रों में 10 एमएसएमई- सैमसंग टेक्निकल स्कूल स्थापित करना है । यह उन संभव मॉडलों में से एक है जो युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करता है जिससे कि उनके रोजगार की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है और उन्हें स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए भी प्रेरित करता है ।

हमें **'मेक इन इंडिया'** संकल्पना को उद्योग उत्तरदायी जनशक्ति की मदद से गुणवत्ता विनिर्माण से एक समर्थकारी इको-सिस्टम तंत्र बनाकर एकीकृत रूप में देखना होगा । इस उद्देश्य को पाने के लिए , हम एमएसएमई नीति तैयार करने की प्रक्रिया में हैं जो इस क्षेत्र को एक रूपरेखा देगा । इसका उद्देश्य मुख्य रूप से सब्सिडी ढांचे से एक सक्षम ढांचे, समर्थन ढांचे तक और केवल बहुत छोटे व्यवसायों के लिए एक नए सब्सिडी ढांचे तक जाना है । नीति के प्रमुख तत्व एक स्टार्ट-अप रेजीम फ्रेमवर्क से लेकर एक्जिट पॉलिसी फ्रेमवर्क तक है जो आने वाले वर्षों में एमएसएमई उद्यमियों को आवश्यक विज़न प्रदान करेगा ।

मद संख्या: 4

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विश्वसनीय डाटाबेस का सृजन

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11वीं बैठक में चर्चा किए जाने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विश्वसनीय डाटाबेस के सृजन संबंधी नोट अनुबंध-IV पर दिया गया है।

अनुबंध-IV

सूक्ष्म, लघु मध्यम उद्यम विकास अधिनियम (एमएसएमईडी), 2006 के कार्यान्वयन के पश्चात, देश में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित व बढ़ावा देने के लिए एमएसएमई मंत्रालय ने एक परिवर्तनकारी नीति की पहल की है जिसके तहत एमएसएमई के अनिवार्य पंजीकरण को समाप्त किया गया है ताकि व्यापार को सुविधाजनक बनाया जा सकें। हालांकि, एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के कार्यान्वयन (2007-08 के बाद) के बाद से अनिवार्य पंजीकरण की समाप्ति के बाद, परियोजनाओं की स्थिति को दर्शाने के लिए विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में उद्यमी ज्ञापन भाग ॥ (ईएम पार्ट II) को भरने की जानकारी की उपलब्धता - जिला उद्योग केंद्रों (जैसे कंप्यूटर, मानवशक्ति जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता) की तैयारी और उसकी पहुंच पर निर्भर करते हैं। 2013-14 के दौरान देश में दाखिल ईएम भाग II की कुल संख्या में लगभग 95 प्रतिशत जिन 10 प्रमुख राज्यों में दाखिल किए गए (तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरल, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश), उनमें से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को छोड़कर सभी ने ईएम भाग II की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है। अन्य राज्यों में , उड़ीसा ने भी ईएम भाग ॥ की ऑनलाइन फाइलिंग शुरू कर दी है। एमएसएमई मंत्रालय में ईएम भाग II को ऑनलाइन दाखिल करने का प्रावधान है, जिसका लाभ अब ऐसे राज्य/संघ शासित क्षेत्र भी ले सकते हैं , जिन्होंने अब तक ईएम भाग II को दाखिल करने का कोई ऑनलाइन मंच विकसित नहीं किया है। वे मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से यह सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि ईएम भाग II की फाइलिंग सिर्फ परियोजना की शुरुआत के समय सूचना प्रदान करती है। नीतिगत हस्तक्षेपों और कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए जरूरी अद्यतन सूचना को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

2. कार्यक्रम हस्तक्षेपों , सरकारी घोषणाओं और नीतिगत पहलों की जानकारी की जरूरत को ध्यान में रखते हुए , माननीय एमएसएमई मंत्री ने इच्छा प्रकट की है कि उपयुक्त प्रौद्योगिकी और तरीकों का उपयोग करके एमएसएमई के पंजीकरण के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम तैयार किया जाए ताकि एक साल के अंदर हम कम से कम एक करोड़ एमएसएमई के लिए डाटा बेस तैयार कर सकें और समय-समय पर जानकारी को अद्यतन रखने के लिए एक संस्थागत व्यवस्था करें।

एमएसएमई क्षेत्र के संबंध में डाटा बेस का उन्नयन

3. विकास आयुक्त कार्यालय, एमएसएमई योजना स्कीमों के तहत समय-समय पर गणना आयोजित करता है और चार ऐसे गणना आयोजित किए गए हैं , जिसमें 13.75 लाख लघु उद्योगों पर उद्यम स्तर की सूचना (2001-02) और और 16.3 लाख (15.64 लाख पंजीकृत क्षेत्र में और 1.26 लाख अपंजीकृत क्षेत्र में सैंपल सर्वे के रूप में) एमएसएमई स्तर की जानकारी को सार्वजनिक किया गया है। 2007-08 से 2013-14 के लिए दिसंबर 2014 तक एमएसएमईडी अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन के बाद से ईएम भाग II की संख्या पर राज्यवार जानकारी भी एकत्रित की गई है। उद्यमों के बंद होने की सामान्य दर को देखते हुए, लगभग 33.50 लाख कार्यरत एमएसएमई देश में संचालनरत हैं, जो या तो एमएसएमईडी अधिनियम के कार्यान्वयन से पहले जिला उद्योग केंद्रों में पंजीकृत हैं या जिन्होंने अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ईएम भाग II दाखिल किया है।

4. डाटाबेस के उन्नयन के एक अंग के रूप में कई बार एमएसएमई क्षेत्र के लिए औद्योगिक उत्पादन की एक सूची संकलित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गई है। इस उद्देश्य के लिए स्थापित कार्य समूह ने कार्यप्रणाली पर मसौदा रिपोर्टों को अंतिम रूप दे दिया है। लगभग एक लाख एमएसएमई के लिए उत्पादन सहित परिवर्तनशील कारकों के एक समूह पर आवधिक आंकड़ों के संग्रह के लिए चार जोनल एजेंसियों की भर्ती के लिए रुचि की अभिव्यक्ति का अनुरोध आमंत्रित किया गया है। इसके अतिरिक्त, विकास आयुक्त, एमएसएमई, कार्यालय, पंजीकृत एमएसएमई की पूरी गणना को सुनिश्चित करने के लिए एमएसएमई क्षेत्र की पांचवीं गणना और निधियों की उपलब्धता के आधार पर दस प्रतिशत सैंपल आकार के साथ अपंजीकृत भाग का नमूना सर्वेक्षण शुरू करने की प्रक्रिया में है। इस प्रस्ताव में देश में संपूर्ण गणना के द्वारा कार्यरत एमएसएमई से वेब संचालित ऑनलाइन आंकड़ा संग्रहण का प्रावधान है।

5. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि माननीय मंत्री ने कम से कम एक करोड़ एमएसएमई के एक डाटा-बेस के निर्माण की इच्छा जताई है, प्रस्तावित योजना को एमएसएमई बोर्ड के सदस्य संघों और जो संघ बोर्ड का हिस्सा नहीं हैं , उनकी सहायता से काफी हद तक बढ़ाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा चुकी इकाइयों के लिए पंजीकरण को अनिवार्य बनाया जा सकता है। इस संबंध में , माननीय मंत्री की इच्छा के अनुसार, विकास आयुक्त, एमएसएमई, कार्यालय एक व्यवस्थित रूप में एक करोड़ एमएसएमई के संबंध में डाटाबेस के एकबारगी अद्यतन और उसके बाद मासिक अद्यतन के

द्वारा कार्यरत एमएसएमई के संबंध में आंकड़ों के ऑनलाइन संग्रहण के लिए एक नई वेबसाइट (http://msmehealth.dcmsme.gov.in) शुरू कर रहा है।

6. आरंभ में कम से कम हमारी सरकारी योजनाओं जैसे पीएमईजीपी , क्लस्टर विकास कार्यक्रम, आदि का लाभ उठाने वाली एमएसएमई की पंजीकृत सूचना को अनिवार्य बनाया जाएगा। जो संघ मंत्रालय की सहायता लेते हैं और जो संघ एमएसएमई बोर्ड का हिस्सा हैं , उन्हें तत्काल उन सभी एमएसएमई के बारे में सूचना दर्ज करने का काम सौंपा जाना चाहिए जो उनसे जुड़े हैं।

7. एक वेब संचालित प्लेटफार्म , जिसका विकास किया जा रहा है , पर जिस सहजता से आंकड़े अपलोड किए जा सकते हैं, उसे देखते हुए संघ और कार्यक्रम प्रभाग वेब पर डाले जाने के लिए प्रस्तावित प्रारूप में उपलब्ध आंकड़े जमा करने के लिए कह सकते हैं, जिसे अनुबंध के रूप में डाला जाएगा। इस प्रकार एकत्रित आंकड़ों की मदद से , विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय क्षेत्र विशिष्ट रिपोर्ट उत्पन्न कर पाएगा। उत्पादन, बिक्री, निर्यात, रोजगार और भुगतान किए गए कर, आदि से संबंधित मुख्य परिवर्तनशील कारकों के एक समूह, जिन्हें एमएसएमई के लिए अपलोड करना सुविधाजनक हो, पर मासिक सूचना के साथ आंकड़ा संग्रहण और ऑनलाइन अद्यतन की प्रक्रिया को तेज किया जाना है। एमएसएमई संघ और कार्यक्रम प्रभाग जरूरी संशोधन के लिए सुझाव का प्रस्ताव दे सकते हैं और प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं तथा डाटा बेस में अपेक्षित आंकड़े भर सकते हैं। चूंकि जिन एमएसएमई के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाने हैं, उनकी संख्या एक करोड़ एमएसएमई के प्रस्तावित लक्ष्य से काफी कम होगी , इसलिए डाटा बेस के आकार को बढ़ाने के लिए विशेषीकृत एजेंसियों की सेवाएं ली जा सकती हैं।

******

मद संख्या. 5.

उद्योग आधारित कौशल विकास मॉडल विकसित करना

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11वीं बैठक में विचार विमर्श के लिए **उद्योग आधारित विकास कौशल विकास मॉडल का विकास** और रोजगार की मांग और आपूर्ति के बीच अंतराल को कम करने के संबंध में एक नोट अनुबंध-V पर दिया गया है।

अनुबंध-V

उद्योग आधारित विकास कौशल विकास मॉडल का विकास

I. पृष्ठभूमि

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की मुख्य भूमिका देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास को बढ़ावा देना है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों , विशेषरूप से प्रथम पीढ़ी के उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख तत्वों में से उद्यमिता विकास एक है। उद्यमिता तथा इसके परिणामस्परूप उत्पन्न होने वाला रोजगार और संपन्न्ता समग्र विकास के प्रमुख साधन हैं। युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करके एवं नियमित आधार पर **उद्यमिता और कौशल विकास प्रशिक्षण** (ईडीपी/ईएसडीपी) प्रदान करके उन्हें नए उद्यमों की शुरूआत करने के लिए उपयुक्त रूप से समर्थ बनाने के उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय की संस्थानिक संरचना निम्नोक्त है:

क) राष्ट्रीय स्तर के उद्यमिता विकास संस्थान अर्थात.,

- राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम संस्थान (एनआई-एमएसएमई), हैदराबाद,
- राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान (निस्बड), नोएडा, और
- भारतीय उद्यमिता संस्थान (आईआईई), गुवाहाटी

ख) मंत्रालय के तहत विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय निम्नोक्त संगठनों के माध्यम से ईडीपी /ईएसडीपी प्रशिक्षण के साथ- साथ कौशल विकास /विस्तार प्रशिक्षण भी प्रदान करता है:

i) 30 राज्यों की राजधानियों में एमएसएमई विकास संस्थान और 28 शाखा कार्यालय।
ii) 29 स्थानों पर एमएसएमई टूल रूम, प्रशिक्षण केन्द्र/स्टेशन और प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र

ग) केवीआईसी निम्नोक्त के माध्यम से कौशल विकास कार्यकलाप करता है:

- 16 केवीआई प्रशिक्षण केन्द्र
- 25 गैर विभागीय प्रशिक्षण केन्द्र
- 558 प्रत्यायित प्रशिक्षण केन्द्र

- पारंपरिक और ग्रामोद्योगों में कारीगरों को कौशल विकास प्रशिक्षण

घ) कॅयर बोर्ड 11 स्थानों पर अपने रीच-कम-ट्रेनिंग केन्द्रों और फील्ड प्रशिक्षणों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करता है।

ङ) प्रशिक्षण संस्थानों को सहायता की प्लान योजना (एटीआई): योजना का उद्देश्य प्रशिक्षण संबंधी आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाने तथा साथ ही साथ प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए समर्थन प्रदान करके उद्यमिता में तेजी लाना और उसे बढ़ावा देना है। योजना के प्रशिक्षण घटक के तहत उद्यमिता और/अथवा कौशल विकास में उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी); उद्यमिता-सह-कौशल विकास कार्यक्रम (ईएसडीपी) और प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम (टीओटी) संचालित करने के लिए उपरोक्त नामित तीन राष्ट्रीय ईडीआई, एनएसआईसी और केन्द्रीय टूल रूम (लुधियाना) को सहायता प्रदान की जा रही है। विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थानों के लगभग 119 सहभागी संस्थानों को भी अनुमोदित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने में शामिल किया जाता है। एटीआई कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं हैं:

- लाभार्थियों को **निशुल्क प्रशिक्षण** प्रदान किया जाता है।
- 119 व्यापारों के लिए **मानकीकृत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मॉड्यूल**।
- संचालित कार्यक्रमों और वैयक्तिक विवरणों सहित उनमें प्रशिक्षित व्यक्तियों के आंकड़ों का वेब आधारित **ऑन-लाईन रखरखाव**।
- उद्यमी हेल्पलाईन के जरिए **प्रशिक्षण के बाद अनुवर्ती कार्रवाई** संबंधी ब्योरा।

II. प्रशिक्षण कार्यक्रमों की स्थिति का संक्षिप्त अवलोकन

2. 2009 की राष्ट्रीय कौशल विकास नीति में 2022 तक 50 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित करने की परिकल्पना की गई है जिसमें से एमएसएमई मंत्रालय को 150 लाख युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना होगा। 12वीं योजना के लिए मंत्रालय को 42.65 लाख का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। पहले दो वर्षों अर्थात 2012-13 और 2013-14 में कुल 11.49 लाख व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया है। उपरोक्त इसका साक्षी है कि एमएसएमई मंत्रालय का संगठन तंत्र अत्यंत सुदृढ़ है और इसने कौशल और विकास के क्षेत्र में उपयुक्त प्रणालियां विकसित कर ली हैं। वर्तमान वर्ष के लिए निम्नोक्त तथ्य उल्लेखनीय हैं:

- उद्यम शुरू करने और उद्योग के लिए उन्हें तैयार करने के लिए 152834 युवाओं के लिए 3 ईडीआई ने 5505 कार्यक्रम आयोजित किए।

- पीएमईजीपी के तहत लगभग 17073 उद्यम स्थापित किए गए और 129380 युवाओं के लिए रोजगार अवसर उत्पन्न किए गए।
- देश के विभिन्न भागों में 29 जॉब मेले/टैलेंट मेले आयोजित किए गए और एमएसएमई उद्यम संरचनाओं में लगभग 8588 युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।
- प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों (18) ने लगभग 103867 युवाओं को प्रशिक्षित करके रोजगार के लिए तैयार किया।

III. वर्तमान पद्धति:

3. राष्ट्रीय उद्यमिता विकास संस्थानों द्वारा वर्तमान में जिन प्रशिक्षण प्रक्रिया पद्धतियों का पालन किया जा रहा है, उसमें निम्नोक्त शामिल हैं:

i. प्रशिक्षण पूर्व कार्यकलाप
ii. कार्यक्रम के दौरान
iii. प्रशिक्षण के बाद के कार्यकलाप

3.1 प्रशिक्षण पूर्व कार्यकलाप:

1. क्षेत्रीय समाचारपत्रों में विज्ञापन।
2. प्रशिक्षुओं को एकत्र करना।
3. प्रशिक्षुओं के चयन के लिए एप्टीट्यूड/प्रवेश परीक्षा (यदि कोई हो)।
4. संभावित व्यवसाय के लिए प्रशिक्षुओं की काउंसलिंग/ओरिएंटेशन।
5. कार्यक्रम के प्रोसपेक्टस के संबंध में प्रशिक्षुओं के लिए राज्य सरकार के जिला उद्योग केन्द्रों, जिला कल्याण अधिकारियों, बैंकरों और सूक्ष्म वित्त संस्थानों के साथ परामर्श करना/स्थानीय अधिकारियों जैसे कि डीआईसी /डीडब्ल्यूओ/एमएफआई के साथ वि चार विमर्श करना।
6. जिला कल्याण अधिकारियों को शामिल करके उम्मीदवारों का चयन करना/विशेष श्रेणी के लाभार्थियों के मामले में चयन समिति के माध्यम से उम्मीदवारों का चयन करना।
7. अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को सक्षम प्राधिकारी जो तहसीलदार से कम रैंक के न हों , से भली भांति प्रमाणित जाति प्रमाणपत्र प्राप्त करना।
8. प्रशिक्षण के दौरान गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए एक समन्वयक और दो सक्षम वक्ता/शिक्षक नियुक्त करना।

3.2 कार्यक्रम के दौरान:

एक सफल शुरूआत के बाद प्रशिक्षण का दूसरा भाग अनुवीक्षण है। गुणवत्ता और अन्य विधायी उद्देश्यों के लिए प्रत्येक प्रशिक्षण कार्यक्रम का गहनता से अनुवीक्षण किया जाना आवश्यक होता है। अनुवीक्षण निम्नोक्त प्रकिया के माध्यम से संचालित किया जाता है:

क) **वेबसाईट एंट्री :** एमएसएमई मंत्रालय द्वारा प्रयोजित कार्यक्रम होने की स्थिति में सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों को एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण डाटाबेस अर्थात www.msmetraining.gov.in में डाला जाता है। निस्बड ने अलग प्रशिक्षण डाटाबेस अर्थात www.niesbudtraining.org विकसित किया है।

ख) **टेली कालिंग** : एमएसएमई मंत्रालय का एक निशुल्कब (टोल फ्री) कॉल सेंटर है जिसे उद्यमी हेल्पलाइन के नाम से जाना जाता है । यह कॉल सेंटर एजेंसियों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण के बारे में प्रशिक्षणार्थियों को फोन कर उनसे फीड-बैक लेता है ।

ग)**भौतिक सत्यांपन** : भौतिक सत्यापन के लिए कार्यक्रम समन्वायक भी प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थऊल का भी दौरा करते हैं ।

घ) **सरकारी संगठनों की भागीदारी** : समन्वंय और प्रभावी निगरानी के लिए राज्यक सरकारों के उद्योग विभाग, जिला उद्योग केंद्र , जिला मजिस्ट्रेट, अग्रणी बैंक, उद्योग संघ आदि के साथ नियमित रूप से आपसी संवाद होता रहता है ।

3.3 प्रशिक्षण उपरांत कार्यकलाप :

प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक समापन के पश्चाल त निम्न्मलिखित सेवाओं /कार्यवाही की परिकल्पना की जाती है :-

i. सरकार की विभिन्न योजनाओं अर्थात् आरजीयूएमवाई, पीएमईजीपी तथा केंद्र/राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत प्रशिक्षणार्थियों का पंजीकरण ।
ii. प्रशिक्षणार्थियों का नियमित फालो-अप।
iii. प्रशिक्षित सहभागियों के जॉब फेयर आयोजित करना ।
iv. प्रशिक्षण के पश्चात यह सुनिश्चित करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों की ट्रैकिंग की जाती है कि वे रोजगाररत , स्वो रोजगाररत अथवा अन्य स्थिति में हैं । इस सबंध में एमएसएमई मंत्रालय को नियमित आधार पर स्टेे टस-रिपोर्ट भेजी जाती है । कुशल कारीगरों के लिए संस्थाम गत फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए निस्बर ड ने

msmenaukri.com नामक एक वेब पोर्टल तैयार किया है इससे उद्योग के पास कार्यकुशल व्यक्तियों के चयन का विकल्प उपलब्ध होगा ।

IV **प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि करने की आवश्यकता**

4 हालाँकि एमएसएमई मंत्रालय के पास कौशल प्रदान करने और उद्यमिता विकास प्रशिक्षण प्रदान करने की पर्याप्त व्यवस्था है तथापि किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रभावशीलता केवल तभी स्थापित हो सकती है जब प्रशिक्षित व्यक्ति को लाभप्रद और संवहनीय रोजगार प्राप्त हो सकें । यह लाभप्रदता भौगोलिक विविधता में निहित चुनौतियों और आगे होने वाली बढ़त को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण है । यदि क्वालिफाइड प्रशिक्षण द्वारा उचित व्यक्ति को उसके सर्वाधिक अनुकूल ट्रेड (कार्य) में प्रशिक्षण नहीं दिया जाएगा तो केवल सरकारी एजेंसियों तथा नित नए प्रारंभ हो रहे प्राइवेट संस्थानों द्वारा प्रशिक्षण आयोजित करने से कोई फायदा नहीं होगा । इस प्रकार डिमांड की स्थिति महत्वपूर्ण है अर्थात विपणन संबंधी मुद्दों को ध्यान में रखकर किसी विशिष्ट उद्योग द्वारा स्व-रोजगार वेंचर स्थापित करने के लिए बताए गए स्थान अथवा अवसर पर जॉब के लिए आवश्यकता । इसलिए, विद्यमान प्रशिक्षण व्यवस्था को शीघ्र उन्नत करने की तथा एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिए उपयुक्त रणनीति ईजाद करने की आवश्यकता है ।

5 **'मेक इन इंडिया', 'डिजिटल इंडिया' तथा 'जीरो डिफेक्ट' का आह्वान**

माननीय प्रधानमंत्री जी के मेक इन इंडिया आह्वान ने एमएसएमई क्षेत्र के समक्ष बड़े पैमाने पर अवसर उपलब्ध कराए हैं जो निकट भविष्य में साकार होंगे । इसके साथ ही , एमएसएमई के समक्ष एक चुनौती भी होगी क्योंकि उन्हें पर्यावरण को प्रभावित किए बिना गुणवत्तापूर्ण उत्पादों और सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए अधिक प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत होना होगा (जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट) । समतुल्य कौशल के लिए काफी माँग होगी । देश में कौशल विकास कार्यक्रमों को उन्नत बनाने के लिए कार्यनीति तैयार करते समय इन पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान देने की आवश्यकता है । इस प्रकार अपनाई जाने वाली रणनीति को मेक इन इंडिया , डिजिटल इंडिया और जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की राष्ट्रीय रणनीति की उम्मीदों को पूरा करना ।

6 **एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों को उन्नत बनाने के लिए रणनीति ईजाद करना**

जैसाकि पहले कहा जा चुका है प्रशिक्षण में सरकारी इंटरवेंशन की सफलता केवल प्रशिक्षणार्थियों की संख्या से नहीं बल्कि प्रशिक्षण के परिणामस्वरूप रोजगार प्राप्त होने से ही मापी जा सकती है । हालांकि रोजगार सृजन के लिए अनेक तथ्य जिम्मेदार हैं फिर भी

इसे कार्यान्वित करने के लिए स्पष्ट रणनीति एवं रास्ते तथा साधन होने चाहिए जिससे उपयुक्त कौशल से युवाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके ताकि वे संवहनीय वेतन पर रोजगार प्राप्त कर सकें । प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि की रणनीति को निम्नलिखित तत्वों/पहलुओं में शामिल करना होगा :

6.1 **स्किल मैंपिंग :** यह किसी भी परिणामोन्मुखी प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पहली आवश्यकता है ताकि उद्योग की आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त कौशल का विकास किया जा सके । यह किसी खास उद्योग और किसी खास जगह के अनुसार भिन्न हो सकती है । लक्षित क्षेत्र अथवा लक्षित स्थान में उद्योग अथवा उद्योग समूह की उम्मीदों को पूरा करने के लिए वांछित मानदंडों वाला अपेक्षित कौशल प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षणार्थियों को सक्षम बनाने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को तैयार और विकसित करने की आवश्यकता होगी।

6.2 प्रोडक्ट मैंपिग एंड मार्किट मैपिंग:

स्व-रोजगार उद्यमों को प्रारंभ करने को प्रोत्साहित करने तथा उन्हें सफलतापूर्वक आगे बढाने के लिए यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि ईडीपी अथवा ईएसडीपी करने वाले प्रशिक्षणार्थी को विनिर्मित किए जाने वाले उत्पाद, कच्चे सामान की उपलब्धता, परियोजना को बैंक से वित्त पोषण तथा उत्पादन के विपणन के संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएं ।

6.3 कोर्स माड्यूल का मानकीकरण :

प्रशिक्षण संस्थान द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रमों की सामग्री का मानकीकरण किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न संस्थानों द्वारा अलग-अलग स्थानों पर दिए जा रहे प्रशिक्षण में एकरूपता और गुणवत्ता मानदंड बने रहें ।

6.4 उद्योग संघों की सहभागिता :

प्रशिक्षण कार्यक्रमों की प्रभावशीलता में वृद्धि में उद्योग संघ एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं । प्रशिक्षण संस्थानों के साथ सक्रिय सहभागिता और नियमित संवाद से समुचित फीडबैक प्राप्त होना तथा कौशल में कमी, ट्रेड में रोजगार की क्षमता तथा उपलब्ध रोजगार अवसरों के बारे में जानकारी प्राप्त होना सुनिश्चित हो सकेगा ।

6.5 राज्य सरकार की सहायता :

स्व-रोजगार उद्यमों की स्थापना में प्रशिक्षण से पूर्व और प्रशिक्षण के पश्चात फालो-अप में राज्य सरकार की भूमिका जटिल और अत्यंत महत्वपूर्ण है । उद्यम के निर्माण के लिए ईडीपी/ईएसडीपी

के सफलतापूर्वक आयोजन, राज्यहसरकार के क्षेत्रीय स्तर के कार्यकरणों को पूरी तरह से संवेदित करने की आवश्यकता है । यह केवल राज्य् सरकारों के सक्रिय सहयोग से ही संभव है ।

6.6 प्रशिक्षण पश्चात फालों-अप पर अधिक बल:
लाभप्रद रोजगार प्राप्त करने के लिए वांछित स्तर की हैंड होल्डिंग सहायता के बिना , बड़े पैमाने पर प्रशिक्षित और कुशल कार्यबल का सृजन करना युवाओं के साथ न्याकयोचित नहीं होगा । यह आवश्यक है कि उद्योग के साथ समुचित इंटरफेस और जरूरी गठबंधन से प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार तैयार किया जाए जिससे प्रशिक्षणार्थियों की रोजगार क्षमता सुनिश्चित हो सके ।

6.7 उद्योग में और अधिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने तथा प्रशिक्षणार्थियों में विश्वास की भावना भरने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक कनवोकेशन समारोह हो सकता है जिसमें उद्योग के स्थानीय तथा प्रतिष्ठित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा सकता है ।

6.8 रोजगार चाहने वाले और नियोक्ता एक ही मंच पर :
प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार शीघ्र दिलाने के लिए, प्रशिक्षणार्थियों और नियोक्ताओं को एक- साथ लाने के लिए प्रशिक्षण संस्थानों को निरंतर और ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है । इस सबंध में प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा समय- समय पर जॉब फेयर /मेले आयोजित किए जा रहे हैं जिसके परिणाम उत्साहवर्धक रहे हैं । चालू वित्तत वर्ष में एनआई- एमएसएमई तथा निस्बेड ने अब तक क्रमश: ऐसे 34 और 14 कार्यक्रम आयोजित किए हैं । निस्बड ने msmsenaukri.com नामक एक वेबपोर्टल तैयार किया है जिस पर प्रशिक्षणार्थियों सहित रोजगार चाहने वाले और रोजगारदाता स्वयं को रजिस्टर कर सकते हैं ।

6.9 **प्रशिक्षणार्थियों एवं रोजगार संबंधी विश्वसनीय आंकड़ों का रखरखाव:** प्रशिक्षण कार्यक्रमों और उनके वास्तविक लाभार्थियों के संबंध में विश्वसनीय आंकड़े रखने की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की गई है। एमएसएमई मंत्रालय का वेब आधारित एमएसएमई प्रशिक्षण डाटाबेस में पूर्ण हो गए, चल रहे प्रशिक्षण कार्यक्रमों, भिन्न भिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षणार्थियों की संख्या और प्रशिक्षणार्थियों के व्यक्तिगत ब्यौरे रखे जाते हैं। इस सिस्टम की विश्वसनीयता को बढ़ाने के लिए इन डाटा को आधार से जोड़े जाने की आवश्यकता है। वर्तमान डाटा बेस में यद्यपि अनिवार्य और वैकल्पिक फील्ड में पहचान दस्तावेज संख्या का प्रावधान पहले से ही है। शुरूआत में भावी लाभार्थियों की आधार संख्या जहां उपलब्ध हो वैकल्पिक फील्ड में डाले जा

सकते हैं और इससे प्राप्त अनुभव के आधार पर इसे अगले वित्तीय वर्ष में अनिवार्य किये जाने का प्रस्ताव है।

6.10 **कौशल वर्धन केंद्र** : एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आउटरीच को बढ़ाने के उद्देश्य से रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग, गुजरात सरकार की पायलट परियोजना की संकल्पना पर विचार किया जा सकता है। इस पायलट परियोजना में स्कूलों इत्यादि के मौजूदा अवसंरचना का उपयोग कर और राज्यों के आईटीआई की सक्रिय भागीदारी से चिन्हित ग्रामीण जनसंख्या के भौगोलिक पहुंच के अंदर विकेंद्रीकृत , कलस्टर आधारित और आवश्यकता आधारित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आश्चर्यजनक विशेषताएं हैं।

6.11 **ई-शिक्षण माड्यूल** : प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कवरेज को ई- शिक्षण माड्यूलों की शुरूआत करके जिसका कि पंजीकृत प्रशिक्षणार्थियों को अपने कौशल को उन्नित करने के लिए ऑन-लाइन एक्सेस हो सके, समुचित ढंग से बढ़ाया जा सकता है।

6.12 **आईसीटी का अनुप्रयोग:** आईसीटी के उपयुक्त अनुप्रयोगों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रभाव को बढ़ाने की अपार क्षमता है जिसकी कल्पना डिजीटल इंडिया के तहत की गई है। एमएसएमई मंत्रालय ने हाल ही में एमएसएमई प्रशिक्षण डाटाबेस की विशेषताओं को बढ़ाने के लिए उपयोगकर्ता अनुकूल पहल शुरू किया है। इस नई विशेषताओं के साथ एटीआई स्कीम के तहत पंजीकृत होने वाले सभी प्रशिक्षणार्थी स्वागत संदेश प्राप्त करेंगे जो कि मंत्रालय के वेबसाइट के माध्यम से एमएसएमई स्कीमों से संबंधित और अन्य सभी संगत सूचना भी प्रदान करेगा।

7. उपर्युक्त मुद्दे राष्ट्रीय एमएसएमई बोर्ड की बैठक में और अधिक विचार- विमर्श करने के लिए प्रस्तुत की जा रही है।

नवप्रवर्तन, उद्यमिता और कृषि उद्योग- इनक्युबेशन मॉडेल के संवर्धन की योजना

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11 वीं बैठक में चर्चा के लिए नवप्रवर्तन, उद्यमिता और कृषि उद्योग के संवर्धन के लिए योजना पर नोट अनुबंध VI में दिया गया है।

अनुबंध VI

नवप्रवर्तन, उद्यमिता और कृषि उद्योग के संवर्धन के लिए योजना

- नवप्रवर्तन, उद्यमिता और कृषि उद्योग के संवर्धन के लिए योजना प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क की स्थापना और उद्यमिता बढ़ाने के लिए इनक्युबेशन केंद्रों की स्थापना और कृषि उद्योग में नवप्रवर्तन और उद्यमिता के लिए नए उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए भी तैयार की जा रही है। यह योजना माननीय वित्त मंत्रालय के 2014-15 के बजट भाषण से उत्पन्न हुई है जिसमें उन्होंने 200 करोड़ रुपए की निधि के साथ नवप्रवर्तन, उद्यमिता और कृषि उद्योग के संवर्धन के लिए प्रौद्योगिकी केंद्र नेटवर्क की स्थापना का सुझाव दिया है। उन्होंने विनिर्माण और सेवा प्रदायगी की बहुल श्रृंखला के साथ फॉरवार्ड और बैकवार्ड लिंकेज को सुगम बनाने के लिए कार्यक्रम बनाने और नए विचारों के इन्क्यूबेशन और उद्यमिता बढ़ाने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए राष्ट्रव्यापी 'जिला स्तर इनक्युबेशन और एक्सालरेटर प्रोग्राम' आरंभ करने के लिए भी सुझाव दिया।

- इस कार्यक्रम का प्रथम सबसे महत्वपूर्ण घटक विभिन्न सरकारी/ निजी एजेंसियों के पास उपलब्ध प्रौद्योगिकियों का डाटाबेस तैयार करना और एमएसएमई क्षेत्र के भावी उद्यमियों की हैंडहोल्डिंग के लिए प्रौद्योगिकी केंद्रों का नेटवर्क स्थापित करना है।

- दूसरा घटक है इनक्युबेशन केंद्रों में इनक्युबेट्स की हैंडहोल्डिंग और मॉनीटरिंग के लिए अनिवार्य मानव संसाधनों का विकसित करना। इस घटक के तहत वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी भारतीय एमएसएमई की भूमिका की पहचान , सहायता और विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। एनएसआईसी/एमएसएमई मंत्रालय की अन्य एजेंसियों के माध्यम से एमएसएमई को संरक्षण सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है। 17.75 करोड़ रुपए के अनुमानित व्यय से अवार्ड्स, सर्वेक्षण, अध्ययन, ज्ञानवर्धक दौरे, कंसल्टेंट को रखना और मॉनीटरिंग और मूल्यांकन आदि सहित क्षमता निर्माण कार्य किया जाएगा।

- तीसरा घटक राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी), केवीआईसी या कयर बोर्ड या अन्य संस्थाएं/ भारत सरकार /राज्य सरकार की एजेंसी के तहत आजीविका बिजनेस इनक्युबेटर्स(एलबीआई) स्थापित करना ताकि सफल 'रैपिड इनक्युबेशन मॉडेल' के एनएसआईसी माडेल की अनुकृति बनाई जा सके। रैपिड इनक्युबेशन मॉडेल 'उद्यमिता और कौशन विकास के संवर्धन' का मिश्रण है और इसमें लाइव 'डेमा प्रोजेक्ट्स' की स्थापना करना शामिल है। नजी साझेदार संस्थाएं और कंपनियां भी उक्त संस्थाओं

नामत: एनएसआईसी,केवीआईसी या कयर बोर्ड या कोई अन्य संस्था/भारत सरकार/राज्यी सरकार की एजेंसी के साथ पीपीपी मोड के हत आजीविका इनक्युबेशन केंद्र स्थापित कर सकती हैं। निर्दिष्टस एजेंसियों के अधीन इनक्युबेटरों के लिए जमीन और अवसंरचना के अलावा संयंत्र व मशीनरी की लागत का एकमुश्ति 50 प्रतिशत अनुदान अथवा 100 लाख रु. इनमें से जो भी कम हो , दिया जाएगा जबकि पीपीपी मोड के अधीन स्थानपित किए जानेवाले इनक्युबेशन केंद्रों के मामले में जमीन और अवसंरचना के अलावा संयंत्र व मशीनरी की लागत का एकमुश्तन 50 प्रतिशत अनुदान, इनमें से जो भी कम हो , प्रदान किया जाएगा। इस शीर्ष के तहत आवंटित कुल बजट 62.50 करोड़ रु; होगा जिससे 80 एलबीआई की पर्याप्त् रूप से स्थापना होगी और 3 वर्षों की अविध में लक्षित 104000 युवकों को कौशल प्रदान किया जाएगा।

- चौथा घटक दो स्तरों पर टेक्नॉलाजी बिजनेस इनक्युबेटर्स स्थांपित करना है अर्थात भारत सरकार के विभिन्नस मंत्रालयों और विभागों अथवा भारत सरकार /राज्यु सरकार के राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की संस्थाओं सहित संस्थाओं के तहत कृषि आधारित उद्योगों के क्षेत्रों में इनक्युबेशन और उद्यम सृजन के लिए समपिर्त ऐसे केंद्रों की स्थापना के लिए वर्तमान में कार्य कर रहे मौजूदा इनक्युबेशन केंद्रों की सहायता करना और अकादमिक संस्थानों सहित उद्योग संघों , आरएंड डी प्रयोगशालाओं ,विश्वविद्यालयों , सरकारी संस्थाओं और प्रौद्योगिकी पार्कों सहित पात्र निजी संस्थाओं द्वारा नए इनक्युबेशन केंद्रों की भी सहायता करना। क्षेत्रवार , फसलवार, उत्पाद वार,प्रक्रिया वार और उद्योग वार , प्रक्रिया वार और उद्योग वर्टिकल वाइज इनक्युबेशन केंद्रों को संवर्धित किया जाएगा। विभिन्न मंत्रालयों के तहत मौजूदा इनक्युबेटरों को मौजूदा इनक्युबेटरों और नए इनक्युबेटरों के भीतर निर्माण किए जानेवाले केंद्रों के लिए इलेक्ट्रिक पावर और पानी के कनेक्शन, अन्य् फारवार्ड/बैकवार्ड लिंकेजेज और अपेक्षित मानवशक्ति के साथ कवर्ड स्पेस की व्यवस्था करनी होगी। मौजूदा इनक्युबेटरों के लिए कृषि आधारित उद्योगों में इनक्युबेटर स्थापित करने के लिए जमीन और अवसंरचना के अलावा संयंत्र व मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत एकमुश्ति अनुदान अथवा 30 लाख रु. की राशि इनमें से जो भी कम हो, प्रदान की जाएगी जबकि नए इनक्युबेशन केंद्र स्थापित किए जाने के मामले में जमीन और अवसंरचना से इतर संयंत्र व मशीनरी की लागत का 50 प्रतिशत एकमुश्ती अनुदान अथवा 100.00 लाख रु., इनमें से जो भी कम हो , दिया जाएगा। इस शीर्ष के तहत कुल आवंटित बजट 31 टीबीआई स्थापित करने के लिए 61.50 करोड़ रु. होगा।

अंतिम महत्वपूर्ण घटक वित्तट के नवप्रवर्तन कारी साधनों यथा इक्वि1 टी, क्वासी इक्विटी, एंजेल निधि, इंपैक्टवनिधियां, चुनौती निधियां आदि के उपयोग द्वारा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के माध्यम से नए उद्यमों के संवर्धन के वित्तपोषण के लिए फ्रेमवर्क तैयार करना है ताकि स़जनात्मै क और प्राप्यन विचार /इन्नोवेशन सामने आएं और निश्चि त समय-सीमा के भीतर विशिष्ट परिणामों के साथ वाणिज्यिो क उद्यमों में तब्दील किया जा सके। इस प्रयोजन के लिए सिडबी के तहत निधियों की निधि सृजित की जाएगी और इस कार्य के लिए 60 करोड़ रु. निर्धारित किया जाएगा।

मद संख्या 7

नई एमएसएमई नीति की रूपरेखा- स्थिति पर टिप्पणी

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11 वीं बैठक में नई एमएसएमई नीति की रूपरेखा की स्थिति से संबंधित टिप्पणी पर चर्चा के लिए अनुबंध-V ॥ पर रखा गया है।

अनुबंध- **VII**

नई एमएसएमई नीति की रूपरेखा-एक स्थिति नोट

एमएसएमई नीति पर एक मसौदा परामर्श पेपर विशेष सचिव एवं विकास आयुक्त महोदय द्वारा तैयार किया गया था और बाद में विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया था। पेपर का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र के लिए मीडियम टर्म रोडमैप बनाना है और मुख्य जोर सब्सिडी रेजीम से संवर्धनात्मक रेजीम तक जाने पर है । मसौदे पेपर पर उद्योगों, संघों, एनजीओ, शिक्षाविदों तथा आम आदमी से सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य मात्र से एक डेडिकेटेड ई-मेल policy@dcmsme.gov.in बनाया गया है । वैबसाइट के माध्यम से टिप्पणी एवं सुझाव प्राप्त करने के लिए न केवल अपील मंगाई गयी थी अपितु इस विषय पर समय- समय पर अधिकांश राष्ट्रीय समाचार पत्रों में भी विज्ञापन प्रकाशित किए गए थे । इससे हितधारकों और जनता से समान रूप से भारी प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है । 1 दिसंबर, 2014 से 27 फरवरी, 2015 के बीच विभिन्न व्यक्तियों और संस्थानों से 1050 से भी ज़्यादा सुझाव प्राप्त हुए हैं । मध्यकालिक नीति का आकार देने के लिए विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय में प्राप्त इन सुझावों का सार निकाला जाएगा और कार्यालय के अंदर विचार-विमर्श किया जाएगा । सुझावों में एमएसएमई की परिभाषा, क्रेडिट मुद्दे, प्रौद्योगिकी मुद्दे, विपणन के मुद्दे, कौशल से संबंधित मामले, मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, विलंबित भुगतान मुद्दे और एमएसएमईडी अधिनियम से संबंधित मुद्दों जैसे सामन्य मुद्दे शामिल हैं । कई अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं ने मुख्य रूप से विभिन्न करों से संबंधित प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और कानूनी मुद्दों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों को उठाया है । उपरोक्त वेबसाइट पर एक चैट बोर्ड गठित किया गया है जो सामान्य लोगों को प्रस्तावित नीति से संबंधित उपयोगी चर्चा करने में मदद करेगा ।

जनता से प्राप्त भारी प्रतिक्रिया से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि , सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार की ‘मेक इन इंडिया’ मुहिम में प्रमुख भागीदार बनेगा । मेक इन इंडिया का उद्देश्य उत्पादकता, प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, तथा गुणवत्ता विनिर्माण के लिए एक ईको-सिस्टम का निर्माण करना है । मंत्रालय , कोलैटरल फ्री क्रेडिट का प्रावधान कर , किसी राज्य विशेष के उद्यमियों को राज्य सरकारों की वित्तीय सहायता से गारंटी देने के लिए स्टेट वेर्टिकल्स का निर्माण कर महिला उद्यमियों, तथा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र के युवाओं के लिए वर्टिकल बना कर कार्य योजना से इन चुनौतियों का सामना करेगा । यह अब तक प्राप्त मसौदा परामर्श पेपर एवं सुझावों से स्पष्टतः परिलक्षित हुआ है ।

मद संख्या 8

आईआईएम और आईआईटी को विशेष रूप से लक्षित करके देश में उद्यम शुरु करने को प्रोत्साहित करना

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11 वीं बैठक में आईआईएम और आईआईटी को विशेष रूप से लक्षित करके देश में शुरुआत को प्रोत्साहित करने से संबंधित टिप्पणी चर्चा के लिए अनुबंध-V ॥। पर रखा गया है।

अनुबंध-VIII

विशेष रूप से आईआईएम तथा आईआईटी को लक्ष्यपकर देश में नव उद्यम स्थापित करने को प्रोत्साहन देना।

हाल के समय तक एमएसएएमई मंत्रालय के कार्यों में नव उद्योगों को प्रारंभ करने को प्रोत्साहन देना था । विकास आयुक्तम(एमएसएएमई) कार्यालय द्वारा उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत यह कार्यकलाप किया जाता है । दो तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है -

i. एमएसई स्थापित करने वाले संभावित पारंपरिक /गैर- पारंपरिक उद्यमियों की पहमचान करने एवं उन्हें प्रेरित करने के लिए आधे से एक दिन का अभिप्रेरणा अभियान आयोजित करना ।

ii. सूक्ष्म् अथवा लघु उद्यमों की स्थापना के लिए आवश्यक औद्योगिक कार्यकलापों के विभिन्न पहलुओं पर युवाओं क ज्ञानवर्धन करके उनकी प्रतिभा को विकसित करने के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम करना ।

तथापि, इस तरह को कार्यकलापों से संबंधित कुछ मुद्दे एवं सरोका र जो नीवे दिए गए हैं । अब इनका 'कौशल तथा उद्यमिता विकास नीति' के द्वारा हल निकाला जा सकता है, जिसे नव गठित **'कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय'** के अधीन अंतिम रूप दिया जा रहा है ।

उद्यमिता संबंधी मुद्दे एवं सरोकार :

प्रतिवर्ष लाखों युवा प्रशिक्षित किए जाते हैं परंतु कुछ ही सफल उद्यमी बनते हैं।

संभावित कारण हो सकते हैं -

- सही उद्यमशीलता की योग्यता वाले प्रतिभागियों की पहचान के लिए कोई प्रणाली न होना ।
- उचित परियोजना की पहचान हेतु संस्थागत सहयोग तथा मार्ग दर्शन का प्रमाणित माडल न होना ।
- कम गुणवत्तावाले प्रशिक्षण के कारण अपर्याप्तत उद्यमिता कौशल होना ।
- व्यापार-योजना की तैयारी एवं मार्गदर्शन के लिए संस्थागत तंत्र के प्रमाणित माडल न होना ।
- नव स्थापित हा रहे उद्यमों के वित्त पोषण में किसी बैंकर /वित्तीय संस्थान की रुचि न होना
- लाइसेंस और सांविधिक अनुपालनों को मंजूरी के लिए एकल खिड़की तंत्र का न होना

- प्रशिक्षण के पश्चाक्त कदम दर कदम संस्थागत तंत्र का न होना (यथा-जटिल कराधान औपचारिकताओं पर मार्गदर्शन आदि)
- निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र न होना
- शुरुहो रहे उद्यमों के तत्पनर सहयोग के लिए भारत में **उद्यम** पूँजी एवं एंजिल फंडिंग न होना ।

- **इंक्यूबेशन/नवप्रवर्तन** को व्यवसायीकरण में परिवर्तित करने के लिए आकर्षण/व्येवहारिक प्रोत्साहन का न होना ।

आईआईटी एवं आईआईएम से उद्यमों के प्रारंभ करवाने को प्रोत्साहन के संबंध में यह सूचित करना है कि उद्यमिता अभिप्ररणा कार्यक्रम /व्यवसायिक/प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों / पॉलीटेक्नीकों आदि में आयोजित किया जा सकता है , लेकिन, यह अनुभव रहा है इन संस्थानों से पास-आउट शुरुआती समय मे वेतन रोजगार को वरीयता देते हैं और कुछ अनुभव प्राप्त करने के बाद वे अपने उद्यम को चुनने की सोचते हैं ।

‘कार्य- आवंटन के नियमों ’ के अनुसार इस मामले को नव गठित **‘कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)’** द्वारा सुलझाया जा सकता है ।

छात्रों को स्वरोजगार हेतु प्रेरित करने एवं उनके मन में इस तरह की भावना को भरने के लिए एमओएसडीई को व्यवसायिक एवं प्रबंधन संस्थानों/विश्वविद्यालयों/पॉलीटेक्नीकों आदि में ‘उद्यमिता-प्रकोष्ठ’ खोलना चाहिए’

एमएसएमई मंत्रालय हालांकि कार्यकलापों के तहत अपने कार्यक्षेत्र में उद्यमिता अभिप्रेरणा तथा उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का आयोजन जारी रखेगा ।

अभी हाल तक, कौशल विकास मुख्य रूप से श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के डोमेन में रहा है । नए नवगठित **कौशल विकास तथा उद्यमिता मंत्रालय (एमओएसडीई)** क साथ यह कार्य इस मंत्रालय को आवंटित कर दिया गया है ।

एमओएसडीई मंत्रालय ‘राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी)’ के माध्यम से पीपीपी मोड में इस कार्यकलाप को देख रहा है । एनएसडीसी फ्रेसर को आवश्यकता आधारित कौशल प्रदान करने तथा उद्योग में मौजूदा कर्मचारियों को कौशल में उन्नत करने हेतु उद्योग चेंबरों एवं संघों के साथ कार्यकलापों को आयोजित करता है ।

एमएसएमई मंत्रालय हालांकि, एसएमई क्षेत्र की आवश्यकतानुसार अपने **एमएसएमई प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों (एमएसएमई-टीडीसी)** के माध्यम से कौशल विकास कार्यक्रम आयोजित करना जारी रहेगा ।

एमओएसडीईई (मंत्रालय) द्वारा कौशल विकास के संबंध में विचारार्थ रखे जाने वाले मुद्दे एवं सरोकार-

- कौशल विकास में प्रशिक्षण **अपर्याप्ता** है।

- हल्केवकौशल क्षेत्र में ही अधिकांश प्रशिक्षण दिए गए हैं।
- मांग का आकलन किए बिना प्रशिक्षण आयोजित किए जाते हैं। अत : मॉग-आपूर्ति का असंतुलन है
- पाठ्यक्रम में कोई भी एक समान मानक का अनुसरण नहीं होता ।

- पाठ्यवर्या का नियमित अद्यतनीकरण न किया जाना (इसमें आईटीआई, डिप्लोमा तथा अभियांत्रिकी संस्थानों के कार्यक्रम शामिल हैं)
- इको सिस्टम के कुशल प्रबंधन के लिए आईसीटी को प्रयोग में ना लाना (प्रशिक्षण, सूचना सेवा, कैरियर मार्गदर्शन तथा रोजगार का मैच मेकिंग आदि)

मद संख्या 9

खरीद नीति का बेहतर कार्यान्वयन

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11 वीं बैठक में उपरोक्तो शीर्षक पर सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। 'सार्वजनिक खरीद नीति के बेहतर कार्यान्वयन की सुनिश्चितता' नामक एक टिप्प्णी तत्काल संदर्भ के लिए अनुबंध-IX पर संलग्न है।

अनुबंध- IX

सार्वजनिक खरीद नीति का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना

1. यह नीति प्रभावी और सफल क्रियान्वयन के लिए सभी केन्द्रीय मंत्रालयों /विभागों/ सीपीएसयू को सचिव (एमएसएमई) द्वारा 25.4.2012 को परिचालित की गई है।

2. मंत्रालयों/विभागों और सीपीएसयू के सचिवों को 24.5.2012 को जारी अनुवर्ती पत्र और उस पर 13.6.2012, 18.7.2012, 3.10.2012, 3.1.2013, 17.1.2013, 28.03.2013 26.4.2013 25.10.2013 2.12.2013, और 18.12.2013 को अनुस्मारक भेजे गए थे।

3. माननीय एमएसएमई मंत्री ने 23.5.2012 को सभी राज्य सरकारों के मुख्य मंत्रियों से भी एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 11 के तहत प्रावधान के अनुसार उनके राज्य में इसी तरह की नीति तैयार करने का अनुरोध किया है।

4. एक नया मैच मेकिंग सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है जो खरीद एजेंसी को उत्पाद / सेवा के चयन के लिए संभावित एमएसई आपूर्तिकर्ताओं के चयन में सहायता प्रदान करेगा। इस सॉफ्टवेयर का कॉपीराइट विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय के नाम है।

5. नीति पर अनुवर्ती कार्रवाई के एक भाग के रूप में., एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर एक अवधारणा पत्र तैयार किया गया है।

6. मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने नीति में निर्धारित प्रावधानों पर जब कभी स्पष्टीकरण/संदेह/पूछताछ/व्याख्या के लिए कहा है, उन्हें समय पर उत्तर भेजा गया है।

7. एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति में निर्धारित प्रावधानों पर समय- समय पर स्पष्टीकरण के लिए विभिन्न अवसरों पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें की गई है।

8. एमएसई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति पर एक अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) तैयार किए गए हैं और डीसी एमएसएमई की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया गया है और समय-समय पर संशोधन किया जा रहा है।

9. हमारे नियमित अनुवर्ती कार्य के एक भाग के रूप में लोक उद्यम विभाग ने भी नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए अपने नियंत्रण में काम कर रहे सभी सीपीएसयू के लिए आगे निर्देश जारी करने के लिए सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को निर्देश भेजा है और इसके कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए एक उचित निगरानी तंत्र की स्थापना की है । उनके निर्देशों के अनुसरण में , इस कार्यालय द्वारा सभी सीपीएसयू से इस संबंध में उनके द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि करने के लिए अनुरोध किया गया है।

10. वर्ष 2013-14 में, क्षेत्रीय कार्यालयों, एमएसएमई विकास संस्थाओं द्वारा सार्वजनिक खरीद नीति के प्रभावी कार्यान्वयन पर केंद्रित 50 राष्ट्रीय वेंडर विकास कार्यक्रम (वीडीपी) और 299 राज्य वेंडर विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए और अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए एनएसआईसी द्वारा 21 वीडीपी और 34 सीपीएसयू द्वारा 202 वीडीपी आयोजित किए गए।

11. इस नीति में विहित उपबंधों के अनुसरण में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एसएसई से सरकारी खरीद बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है जैसे एनएसआईसी द्वारा अपने कांसोर्शिया निर्माण की योजना के तहत अनु.जाति./अनु.जनजाति के स्वामित्व वाले अधिकाधिक एमएसई को कवर करने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चलाना और अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसई को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न मंत्रालयों /विभागों/सीपीएसयू द्वारा आयोजित वेंडर विकास कार्यक्रमों के अलावा एनएसआईसी द्वारा पंजीकरण शुल्क पर 20 प्रतिशत विशेष रियायत के साथ एनएसआईसी द्वारा अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लिए विशेष खिड़की खोलना शामिल है ताकि सरकारी खरीद में उनकी भागीदारी में वृद्धि हो सके।

12. एमएसई की शिकायतों को दूर करने के लिए इस नीति के अधीन एक शिकायत प्रकोष्ठक गठित किया गया है और इसे कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। शिकायत प्रकोष्ठ में इस नीति संबंधी 100 शिकायतें/प्रश्न/ मामलों पर कार्रवाई की गई है। विकास आयुक्त, एमएसएमई कार्यालय की वेबसाइट पर एक विंडो खोला गया है ताकि एमएसई अपने शिकायतों को शिकायत प्रकोष्ठक में ले जाना सुलभ हो सके।

13. इस नीति के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए लोक उद्यम विभाग ने अपने पत्र सं डीपीई / 7 (4) / 2007-फिन 28 जनवरी 2014 के द्वारा निदेश जारी किया है कि सार्वजनिक खरीद नीति का पालन न करनेवाले सीपीएसयू को समझौता ज्ञापन का वार्षिक मूल्यांकन के समय में 1 अंक तक दंडित किया जाएगा।

14. सभी मंत्रालयों / विभागों / सीपीएसयू से वर्ष 2013-14 के दौरान एमएसई से उनके द्वारा की गई खरीद और अन्यरब्यौरा भेजने का अनुरोध किया गया है।

15. एमएसएमई नीति के सफल और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सभी संबंधित केंद्रीय मंत्रियों से अनुरोध करते हुए माननीय एमएसएमई मंत्री द्वारा जुलाई 2014 में अ.स.पत्र जारी किया गया है।

16. सचिव, एमएसएमई, ने एमएसई से खरीद बढ़ाने और एमएसएमई विक्रेताओं के क्षमता निर्माण के लिए अपनाई जानेवाली कार्यनीति के संबंध में अलग -अलग सीपी एसयू के साथ विभिन्न तारीखों में बैठक की हैं । इस संबंध में सचिव एमएसएमई ने निम्नलिखित सीपीएसयू/ सरकारी विभागों: के साथ एक-एक कर बैठकें की है: -

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल), स्टील ऑथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल), रेलवे बोर्ड, एचएमटी लिमिटेड, तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), एनटीपीसी लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को), कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) और हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल)।

****

मद संख्या 10

योजनाओं और कार्यक्रमों की बेहतर जागरूकता के लिए लक्ष्य निर्धारण

राष्ट्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम बोर्ड (एनबीएमएसएमई) की 11 वीं बैठक में चर्चा के लिए उपरोक्त विषय पर सुझाव प्रार्थित है।

मद संख्या-11

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कोई अन्य मद